न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—00270/2018/225

1. हीरालाल पुत्र गंगाराम,
2. बोदूराम पुत्र हीरालाल,
3. शंकरलाल पुत्र हीरालाल,
   जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बोराज, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. कैलाशी देवी पुत्री हीरालाल, जाति कुमावत, निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद हाल निवासी जोबनेर, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्योजीराम कुमावत पुत्र हीरालाल, जाति कुमावत, नि0 बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. उप पंजीयक मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू दिनांक 21.8.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 79/2017.

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मेन्द्र टांक, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2 व 3.

निर्णय

दिनांकः— 20.11.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू के आदेश दिनांक 21.8.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 1028 के खसरा नंबर 3573/554 रकबा 0.5100 है0 तथा खसरा नंबर 554 रकबा 0.0300 है0, खाता संख्या 1027 के खसरा नंबर 3402/544 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 3403/545 रकबा 0.0100 है0, खसरा नंबर 3404/547 रकबा 0.1100 है0, खसरा नंबर 3405/547 रकबा 0.0700 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.3100 है0 वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसमें से खाता संख्या 1028 संपूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 हीरा के नाम दर्ज है एवं खसरा नंबर 554 में से 1/3 हिस्सा एवं खाता संख्या 1027 में 774/3100 दर्ज है । उक्त वादग्रस्त आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1/वादी का 1/5 हिस्सा बनता है जिसका उसे खातेदार

काश्तकार घोषित किया जावे और दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 21.8.2018 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपने पिता हीरा की आराजियात में अधिकार चाहा है जबकि कानूनन वादी वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि पिता के जीवित रहते उसे वादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है न ही वह वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है । इस बाबत् अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य एवं न्यायिक दृष्टांतों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांटस वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0संख्या 1/वादी स्वंय द्वारा हीरा की सम्पति में से फर्जकारी कर आराजियात का बेचान कर दिया तत्पश्चात् उपरोक्त वादपत्र प्रस्तुत कर दिया और अधी0न्याया0 द्वारा भी अपीलांटस के हिस्से की आराजी का आदेश देते हुए संपूर्ण आराजियात बाबत् ही अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी जबकि वादी का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है एव न ही उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार ही था । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को निर्णित किये बिना अधी0न्याा0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का एवं पैतृक आराजियात है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पति में रेस्पो0 संख्या 1 का जन्म से हक व हिस्सा निहित होता है । यदि वाद के विचाराधीन रहते अपीलांटस विवादित आराजियात का अन्यंत्र हस्तातंरण इत्यादि कर देते है तो रेस्पो0 संख्या 1 को ही अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है । प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में पाये जाने से अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र विवादित आराजियात को पैतृक आराजियात होना बताकर विवादित आराजियात में 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर अपीलांटस को प्रार्थी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी उत्पन्न नहीं करने, कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने तथा विवादित आराजियात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल

विक्रय आदि नहीं करने तथा यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । यह निर्विवाद तथ्य है कि पक्षकारान के मध्य अधी0न्याया0 के समक्ष मूल वाद विचाराधीन है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इनका निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान में अपीलांट विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है किन्तु वाद के विचाराधीन रहते यदि अपीलांट द्वारा विवादित आराजियात में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से की आराजियात का अन्यंत्र विक्रय, हस्तातंरण इत्यादि कर दिया जाता है तो वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा तथा और अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी । अधी0न्याया0 को अपीलांटस को प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा क्लेम किये गये हिस्से तक ही अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने संपूर्ण आराजियात बाबत् अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा क्लेम किये गये 1/5 हिस्से तक यथावत् योग्य होकर शेष आराजियात बाबत् निरस्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.8.2018 में संशोधन किया जाकर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा क्लेम किये गये 1/5 हिस्से की हद तक अपीलांटस को ताफैसला वाद इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के 1/5 हिस्से की आराजियात में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे, न ही रेस्पो0 संख्या 1 को बेदखल करे तथा रेस्पो0 संख्या 1 के विवादित हिस्से की हद तक विवादित आराजियात का किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल, विक्रय इत्यादि नहीं करे । अधी0न्याया0 का आदेश रेस्पो0 संख्या 1 के 1/5 हिस्से के अतिरिक्त शेष आराजियात बाबत् निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर